

प्रेस नोट दिनांक-17.04.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान 01 सफारी वाहन से कुल मात्रा 276.48 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब/मादक तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उ.नि. आफताब आलम मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 16.04.2025 को समय करीब 16.15 बजे एनएच 02 हाइवे नौबतपुर पिकेट के पास से चेकिंग के दौरान टाटा सफारी स्ट्रॉम वाहन संख्या UP65CL2101 से कुल मात्रा 276.48 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब 08 पीएम ट्रेटा पैक कुल 32 पेटी प्रत्येक पेटी 48 पीस (कुल 1532 पीस) कुल योग मात्रा- 276.48 लीटर बरामद हुआ। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 87/2025 अभियुक्त अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- शुभम सिंह पुत्र अशोक सिंह नि. माधोपुर थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार
- अवनीश यादव पुत्र प्रहमन यादव नि. मिश्रपुर कल्याणपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1-मु.अ.सं. 87/2025 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान–

दिनांक - 16.03.2025

समय -16.15 बजे

स्थान – NH-02 हाइवे ग्राम नौबतपुर पिकेट के पास

विवरण बरामदगी-

- कुल मात्रा 276.48 लीटर अवैध अंग्रेजी 08 पीएम ट्रेटा पैक शराब कुल 32 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 पीस(01 पीस 180 एमएल)
- एक टाटा सफारी स्ट्रॉम यूपी 65सीएल2101

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.50 लाख रुपये है।

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक - विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

उप निरीक्षक आफताब आलम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

हे०का० धर्मेन्द्र कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

हे.का. रुपनारायन सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का. शंकर राम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का. बृजेश चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना व जनपद चंदौली

➡️ □ थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 लग्जरी वाहन से कुल मात्रा 216 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 01 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार

➡️ □ बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.20 लाख रूपये

चंदौली-श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा शराब/मादक तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक चंदौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चंदौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 लग्जरी वाहन से कुल मात्रा 216 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 01 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 82/2025 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक-16.04.2025 को थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा सन्दिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन की चेकिंग लीलापुर फाटक के पास की जा रही थी कि मुखविर द्वारा बताया गया कि एक वाहन टाटा पंच बारंग सफेद जिसका नं0 UP65FD1494 है। जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी है, जिसको बिहार ले जाने की फिराक में है। उपरोक्त वाहन इस समय पचफेडवा पुल के पास है यदि जल्दी किया जाय तो मौके पर पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर चंदौली पुलिस नेशनल हाइवे पर आने जाने वाली वाहनो की गति के धीमा करते हुए धीरे-धीरे गाड़ियो का नम्बर देखते हुए छोड़ा लगे कि वाहन संख्या UP65FD1494 सफेद रंग की टाटा पंच आकर जाम में फस गयी जाम को छोड़वाते हुए वाहन को साइड मे कराकर चालक को वाहन से नीचे उतारकर चालक का नाम पता पूछा गया तो चालक की पहचान आशीष कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी प्लाट नं0 140 मिसिरपुरा लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई व गाड़ी में झाक कर देखा गया तो पिछली सीट व बीच की जगह में चद्दर से ढककर कुल 25 पेटी 8pm अंग्रेजी शराब जिसमें से एक पीस निकालकर देखा गया तो 8 p,m SPECIAL BLEND of Scotch INDIAN GRAIN WHISKY 180 ml, for sale in uttar Pradesh पाया गया। एक पेटी में कुल 48 पाऊच 180 ml पाया गया तथा कुल शराब की मात्रा 216 लीटर पायी गयी। जिसको रखने व परिवहन करने का कागजात तलब किया गया तो चालक दिखाने से कासिर रहा वाहन चालक को उसके किये गये अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 17.02 बजे वाजाफता हिरासत पुलिस मे लिया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 82/2025 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. आशीष कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी प्लाट नं0 140 मिसिरपुरा लहर तारा Ps मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.स. 82/2025 धारा 60/63 EX ACT थाना व जनपद चंदौली

विवरण बरामदगी -

1. 216 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब

2. एक वाहन टाटा पंच वाहन संख्या UP65FD1494

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना व जिला चंदौली।

2. उ.नि. रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी नवीन मण्डी थाना व जिला चंदौली

3. हे.का. अनिल कुमार थाना व जिला चंदौली

4. का. सागर यादव थाना व जिला चंदौली।

5. का. रुपेश दूबे थाना व जिला चंदौली

थाना धीना, जनपद चन्दौली

◆थाना धीना पुलिस टीम द्वारा एक बोलेरो पिकअप वाहन से कुल 03 राशि गोवंश को तस्करी कर वध हेतु ले जाते समय किया गया बरामद।

चन्दौली- श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में गौ-तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री अनंत चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव के कुशल नेतृत्व में गौ-तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 17.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक धीना मय हमराह के साथ बहोरा चंदेल के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा संदिग्ध वाहन के सम्बन्ध में सूचना मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम डेढ़गावा के पास पहुचकर बैरिकेट लगाकर चेकिंग किया जा रहा था कि कुछ समय पश्चात एक वाहन जो चेकिंग प्वाइंट से कुछ दुर खड़ा दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा जाकर चेक किया गया तो उक्त पिकअप वाहन संख्या UP 67 AT 1962 में लदे कुल 03 राशि गोवंश (गाय) को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 34/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवा. अधि. में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

एक बोलेरो पिकअप वा0 सं0 UP 67 AT 1962
03 राशि गोवंश (गाय)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना धीना चन्दौली ।
का0 मिथिलेश कुमार थाना धीना चन्दौली ।
का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली।